फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

तेजाराम बनाम तहसीलदार

मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट मुकदमा नम्बर 73 सन् 2021

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 3.03.2021 को पेश हो।	
[initials]	
03 03/2021 वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामील अनु० अत: अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वास्ते साक्ष्य सबूत पत्रावली दिनांक 8/3/2021 को पेश हो।	
[initials]	
03/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 15/3/2021 को पेश हो।	
[initials]	
03/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद सम्यक तामिल अप्रार्थी अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी की माता सारली पत्नी टोडाराम प्रार्थी स्वंय तेजाराम व प्रार्थी के भाई लक्ष्मण, राजू, रामू पुत्रगण टोडाराम के नाम राजस्व ग्राम गांवडी पटवार हल्का गांवडी तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 129	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bre esh Kum
Date: 2021.03.29 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

जमाबन्दी सम्वत 2057–2060 में हिस्सा 1/16 खातेदारी भूमियां हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से लिपिकीय त्रुटिवश भूमि खाता संख्या 289 जमाबन्दी सम्वत 2075–2075 में तेजाराम, लक्ष्मण पुत्रगण टोडाराम व सारली पत्नी टोडाराम हिस्सा 1/16 दर्ज हैं। प्रार्थी के भाई राजू व रामू पुत्रगण टोडाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में छूट गया। जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राजस्व ग्राम गांवडी के नामान्तरकरण संख्या 1948, भूमि खाता संख्या 129 जमाबन्दी सम्वत 2057–2060, भूमि खाता संख्या 170 जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 एवं भूमि खाता संख्या 187 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की प्रतियां प्रस्तुत की हैं जिनसे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद होती हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में भूमि खाता संख्या 289 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 में हिस्सा 1/16 की खातेदारी सारली पत्नी टोडाराम, तेजाराम पुत्र टोडाराम व लक्ष्मण पुत्र टोडाराम के नाम अंकित हैं। प्रार्थी का कथन कि राजस्व ग्राम गांवडी के नामान्तरकरण संख्या 1948 के अनुसार नाम व हिस्सा दुरुस्त फरमाया जावें। की पुष्टि नामान्तरकरण संख्या 1948, भूमि खाता संख्या 129 जमाबन्दी सम्वत 2057–2060, भूमि खाता संख्या 170 जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 एवं भूमि खाता संख्या 187 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की प्रति से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम गांवडी पटवार हल्का गांवडी तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 289 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के राजस्व रिकॉर्ड में **सारली पत्नी टोडाराम हिस्सा 1/48, लक्ष्मण पुत्र टोडाराम हिस्सा 1/48, तेजाराम पुत्र टोडाराम हिस्सा 1/48** के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में **सारली पत्नी टोडाराम हिस्सा 1/80, लक्ष्मण पुत्र टोडाराम हिस्सा 1/80, तेजाराम पुत्र टोडाराम हिस्सा 1/80, राजू पु. टोडाराम हिस्सा 1/80 एवं रामू पुत्र टोडाराम हिस्सा**

Signature
Digitally sig
Date: 2021.
Reason: Se

1/80 दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested